बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:– 2/अ0प्र0–2–56/14 126/पटना, दिनांक :– 14.1.21

निगरानी विभाग के पत्रांक 1661 अनु0 दिनांक 27.03.14 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत ग्राम–अयरा ग्रामीण लिंक पथ के प्रिमिक्सींग कार्य में कम तापमान पर मिक्स का व्यवहार करने तथा विशिष्टियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं करने एवं प्रिमिक्स की लाईनिंग निर्धारित तापमान पर नहीं करने से कालीकृत पथ में स्टोन चिप्स उखड़ा पाये जाने के आरोपों पर श्री वेद प्रकाश लाल, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल के विरूद्ध आरोप पत्र (आरोप वर्ष–2012–13) गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 583 अनु0 दिनांक 09.02.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 034 दिनांक 25.05.2016 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री लाल के विरूद्ध गठित आरोपों को इस आधार पर अप्रमाणित बताया गया कि सील कोट टाईप –ए के कार्य के पश्चात ग्रीन स्टेज में ही वाहनों का परिचालन होने से पथ के आंशिक भाग में कहीं कहीं स्टोन चिप्स उखड़ा पाया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से कराई गयी। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि बिटुमिन मिक्स में गुणवत्ता की कमी बिटुमिनस मिक्स का Over burnt होना या Laying के समय बिटुमिनस मिक्स के temperature का कम होना तथा Laying के समय कुछ लौट में Premix का temperature मानक के अनरूप नहीं रहने के कारण कहीं–कहीं स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाया गया।

3. उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत पत्रांक 2735 दिनांक 22.11.218 द्वारा श्री लाल से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री लाल के पत्रांक शून्य दिनांक 31.12.2018 के माध्यम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि बिटुमिनस मिक्स के Over burnt या temperature मानक के अनरूप नहीं होने की स्थिति में पथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं होता अपितु पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता।

4. श्री लाल के दिनांक 30.09.17 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 583 दिनांक 09.02.16 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक 1828 दिनांक 02.07.19 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

5. श्री लाल के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समग्र समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि प्रीमिक्सींग में मिक्स के तापमान का ध्यान नहीं रखने एवं कम तापमान के मिक्स का व्यवहार किये जाने के कारण स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाया गया। उक्त आधार पर श्री लाल के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. उक्त के आलोक में श्री लाल के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अगले दस वर्षों तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 प्रतिशत की कटौती की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 551 अनु0 दिनांक 12.02.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 300 दिनांक 28.05.2020 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

8. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री वेद प्रकाश लाल, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 43 (बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) अगले दस वर्षों तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 (दस) प्रतिशत की कटौती।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.01.21

(कृष्ण मोहन सिंह)

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 127 /पटना, दिनांकः– 14.1.21

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13.01.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 127 /पटना, दिनांकः– 14.1.21

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.01.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 127 /पटना, दिनांकः– 14.1.21

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आयोग के पत्रांक 05/प्रो0–4–13/2020 –300 दिनांक 28.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.01.21

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.i

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 127 /पटना, दिनांकः– 14.1.21

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री वेद प्रकाश लाल, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–फलैट नं0–ए/307, दुर्गा मेरिन ड्राइव, राजापुर पुल के पूरब, दुजरा, पो0–जी0पी0ओ0, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.01.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 127 /पटना, दिनांकः– 14.1.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.01.21

उप सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.i